प्रेस ब्रीफ

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2018-19

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन -राजस्थान सरकार विधानसभा के पटल पर दिनांक 21.08.2020 को रखा जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को जन लेखा समिति को सौंप दिया गया माना जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कुछ मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:

राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

वर्ष 2018-19 के दौरान यद्यपि, राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात (33.51 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (35.0 प्रतिशत) के भीतर था, तथापि, यह चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित सीमा (24.4 प्रतिशत) से काफी अधिक था।

जीएसडीपी से प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 में 3.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 3.71 प्रतिशत हो गया, जोकि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 में निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। राज्य को निरन्तर राजस्व घाटा रहा जोकि वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 28,900 करोड़ था।

(अनुच्छेद 1.10.2, एवं 1.11)

राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 10,565.84 करोड़ (8.3 प्रतिशत) से बढ़ी, जो कि बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमश: ₹ 13,790 करोड़ (9.1 प्रतिशत) एवं ₹ 10,311 करोड़ (7.0 प्रतिशत) से कम थी।

राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 20,931.67 करोड़ (14.4 प्रतिशत) से बढ़ा, जो कि बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमश: ₹ 2,345 करोड़ (1.4 प्रतिशत) एवं ₹ 6,236 करोड़ (3.6 प्रतिशत) से कम रहा।

(अनुच्छेद 1.2.2)

एक जेंडर आधारित योजना में शून्य व्यय तथा दो अन्य योजनाओं में 25 एवं 42 प्रतिशत का व्यय, जेंडर उत्तरदायी बजटिगं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की ओर से प्रयासों में कमी को इंगित करता है।

(अनुच्छेद 1.2.3)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रहण का स्वचालित तंत्र स्थापित हो जाने के साथ, लेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखानरीक्षक के संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए, सभी संव्यवहारों की नमूना जाँचों को एक विस्तृत जाँच में परिवर्तित किया जाना लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हो गया है। डाटाबेस तक अपेक्षित पहुंच अभी भी दी जानी है। जीएसटी प्राप्तियों की विस्तृत लेखा परीक्षा करने में जीएसटी के सभी संव्यवहारों से सम्बन्धित डाटा की उपलब्धता नहीं होना एक रूकावट है। इसलिए एकबार अपवाद के रूप में वर्ष 2018-19 हेतु लेखे नमूना जाँच के आधार पर प्रमाणित किये गये है जैसा कि रिकार्ड को मैन्युअल रूप से रखे जाने पर किया जाता था।

(अनुच्छेद 1.4.1.2)

वर्ष 2018-19 के दौरान, पूँजीगत व्यय ₹ 19,638.20 करोड़ था। पूँजीगत व्यय का कुल व्यय में प्रतिशत अंश वर्ष 2017-18 के 12.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 10.5 प्रतिशत रह गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 19,638.20 करोड़ के पूँजीगत व्यय में से ₹ 4,080.79 करोड़ (पूंजीगत व्यय का 21 प्रतिशत) का निवेश सरकारी कम्पनियों और सहकारी समितियों/बैकों/समितियों में किया। इसमें से, सरकार द्वारा संचित हानि ₹ 95,506 करोड़ एवं कुल ऋणात्मक लागत ₹ 59,097.74 करोड़ वाली पाँच विद्युत कम्पनियों में ₹ 3,822.30 करोड़ (पूंजीगत व्यय का 19.5 प्रतिशत) में निवेश किया।

(अनुच्छेद 1.7.2)

₹ 26,408.96 करोड़ की राशि 279 अपूर्ण परियोजनाओं पर व्यय की गई जो राज्य के संचयी पूंजीगत परिव्यय (₹ 1,88,108.83 करोड़) का 14 प्रतिशत था। 43 परियोजनाओं पर कुल लागत वृद्धि ₹ 12,510 करोड़ (129 प्रतिशत) थी। निर्धारित समय में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण समाज को मिलने वाले सम्भावित लाभों मे विलम्ब हुआ एवं गत वर्षों में परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 1.9.2)

राज्य सरकार के निवेश में 40 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 47,711.58 करोड़ का निवेश सम्मिलित है, जिनमें से केवल आठ कम्पनियों ने ₹ 290.77 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 44.72 करोड़ का लाभांश घोषित किया गया। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2019 तक पाँच बिजली कम्पनियों में ₹ 45,265.06 करोड़ का निवेश किया जो कि कुल निवेश का 91 प्रतिशत था।

(अनुच्छेद 1.9.3)

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान चार आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 1,564.30 करोड़ की राशि का कम हस्तान्तरण कर नियमों की अवहेलना की तथा, इस प्रकार, आगामी वर्षों के लिए अपनी वर्तमान वर्ष की देयता को स्थगित कर दिया, जिसका प्रभाव राजकोषीय घाटे को उतनी ही राशि से कम आंकलित किए जाने के समतुल्य है।

(अनुच्छेद 1.10.4)

वित्तीय प्रबन्धन तथा बजटरी नियंत्रण

वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल व्यय (₹ 2,04,439 करोड़) का 35.25 प्रतिशत (₹ 72,055 करोड़) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया। यद्यपि, कुल प्राप्तियों (₹ 1,90,898 करोड़) में से 33.17 प्रतिशत (₹ 63,324 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में किये गये व्यय में गत वर्ष 2017-18 की तुलना में 5.23 प्रतिशत (₹ 3,980 करोड़) की कमी हुई। ।

(अनुच्छेद 2.3.2)

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 2,29,078.32 करोड़ के कुल अनुदानों और विनियोगों के विरूद्व ₹ 19,302.05 करोड़ की बचतें छोड़ते हुए ₹ 2,09,776.27 करोड़ का व्यय किया गया। विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को इन निधियों का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की कोई संभावना ना छोड़ते हुए, ₹ 18,329.95 करोड़ अभ्यर्पित किये गये। इसके अलावा, 123 प्रकरणों मे, ₹ 9,069.71 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 6,960.31 करोड़ (76.7 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

(अनुच्छेद 2.2 तथा 2.3.8)

वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

सामान्य/विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किये गये ₹ 29,868.64 करोड़ के अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र दो विभागों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एसजेईडी) (₹ 44.45 करोड़) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (₹ 1.13 करोड़) के अलावा अन्य विभागों द्वारा महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत नहीं किये गए थे। 2017-18 की अवधि तक इन दो विभागों को प्रदान की गई अनुदानों (₹ 76.56 करोड़) में से, विभाग से कुल मिलाकर ₹ 5.97 करोड़ के 195 उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण लंबित रहा।

Formatted: Font color: Auto

(अनुच्छेद 3.1)

राज्य सरकार द्वारा 10 उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जब तक कि उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया, राशि ₹ 16,885.63 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से, विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से लगातार हानि में चल रहे आठ उपक्रमों की संचित हानि ₹ 13,857.86 करोड़ रही।

(अनुच्छेद 3.3)

राशि ₹ 79.45 करोड़ के दुर्विनियोजन, चोरी एवं राजकीय धन की हानि के 831 बकाया प्रकरणों में से राशि ₹ 39.37 करोड़ के 308 प्रकरणों में विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित थी। इसके अलावा, ₹ 33.96 करोड़ के 447 प्रकरणों में वसूली/अपलेखन के आदेश भी प्रतीक्षित थे।

(अनुच्छेद 3.4)

वर्ष 2018-19 के दौरान, निजी निक्षेप खाते में राशि ₹ 31,821.06 करोड़ हस्तान्तरित/जमा की गयी, जो कि कुल व्यय (₹ 1,87,524 करोड़) का 16.9 प्रतिशत थी। इसमें से, ₹ 5,002.11 करोड़ (20.08 प्रतिशत) की राशि केवल मार्च 2019 में निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित/जमा की गई। कुल हस्तान्तरित राशि में से, 1,899 पीडी खातों में ₹ 13,325.59 करोड़ के अव्ययीत शेष थे। 31 मार्च 2019 को, राशि ₹ 0.18 करोड़ के कुल 20 पीडी खाते गत पाँच वर्षों (2014-19) से अप्रचलित थे ।

(अनुच्छेद 3.5)